न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 94 / 2024

प्रार्थीगण :—

1. भंवरलाल पुत्र रतनाराम जाति सीरवी निवासी बेरा लेरचों का पिपलिया बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. माधवसिंह पुत्र स्व.मलाराम जाति सीरवी निवासी बेरा लेरचों का पिपलिया बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—** 31/07/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 928/7 रकबा 1.9416 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। खसरा सं. 928/7 की सम्पूर्ण भूमि पूर्व में खातेदार मलाराम पुत्र सिरदारराम 2/3 हिस्सा, कालूराम पुत्र अमेदराम 1/3 हिस्सा कौम पटेल साकिन बिलाडा के नाम से दर्ज थी। खातेदार मलाराम पुत्र सिरदारराम द्वारा अपने 2/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 17.04.1989 को प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता की जाति सीरवी अंकित है। उक्त बैचाननामा की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है उक्त बैचाननामा के आधार पर म्यूटेशन सं. 1190 स्वीकृत किया गया तथा प्रथम बार उक्त खरीदसुदा भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2045 से 2048 में प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता की नाम से इन्द्राज किया गया। जिसके संबंध में जमाबंदी संवत 2045 से 2048 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इसके आगे की जमाबंदी संवत 2053 से 2056 व जमाबंदी संवत 2065 से 2068 की खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता की जाति का इन्द्राज नहीं किया तथा चालु जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं0.2 के पिता की सही जाति सीरवी के स्थान पर गलत जाति कुम्हार(प्रजापति) का इन्द्राज कर दिया। इसलिए चालु जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में प्रार्थी सं.

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता की दर्ज गलत जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता की सही जाति सीरवी (खारडिया) शुद्ध किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अन्य सहखातेदार चेतन प्रकाश, नाथी व रेखा को पक्षकार नहीं बनाया है क्योकि प्रार्थीगण द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है तथा उनकी जाति भी चालु जमाबंदी में सही दर्ज है इसलिए वो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 928/7 रकबा 1.9416 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में प्रार्थी सं. 1 भंवरलाल व प्रार्थी सं. 2 के पिता मलाराम की दर्ज गलत जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर सही जाति सीरवी(खारडिया) शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 928/7 रकबा 1.9416 हैक्टयर पूर्व में खातेदार मलाराम पुत्र सिरदारराम 2/3 व कालूराम पुत्र अमेदराम 1/2 जाति पटेल सा.बिलाडा के नाम दर्ज थी। खातेदार मलाराम पुत्र सिरदारराम द्वारा अपने 2/3 हिस्से सम्पूर्ण भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 17.04.1989 को प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता मलाराम पुत्र रतनाराम को बैचान कर दी थी। उक्त बैचाननामा में प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता की जाति सीरवी अंकित है। उक्त बैचाननामा के आधार पर नामा. सं. 1190 के जरिये प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता का नाम पहली बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2045 से 2048 में दर्ज हुआ। जिसमें जाति सीरवी दर्ज थी। इसके आगे के चौसाला जमाबंदी 2053 से 2056 व 2065 से 2068 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता की जाति का इन्द्राज जमाबंदी में इन्द्राज नहीं हुआ। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2073 से 2076 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता की जाति सीरवी के स्थान पर गलत जाति कुम्हार(प्रजापति) दर्ज कर दी गई। जबकि प्रार्थीगण के पिता की सही जाति सीरवी है। वादीगण की ईस्तदुआ है कि चालु जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता की दर्ज गलत जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता की सही जाति सीरवी(खारडिया) शुद्ध करवाई जावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 928/7 रकबा 1.9416 हैक्टयर में जमाबंदी चौसाला 2073 से 2076 में प्रार्थी सं. 1 भंवरलाल व

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा
सत्यमेव जयते

प्रार्थी सं. 2 के पिता मलाराम की दर्ज गलत् जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर सही जाति सीरवी(खारडिया) किये जाने की रिपोर्ट पेश है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में खसरा नं. 928/7, जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में खसरा नं. 928/7 प्रार्थीगण के पिता की जाति कुम्हार(प्रजापति) के नाम से खातेंदारी में दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2073 से 2076 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता की जाति सीरवी के स्थान पर गलत जाति कुम्हार(प्रजापति) दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 928/7 रकबा 1.9416 हैक्टयर में जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी सं. 1 भंवरलाल व प्रार्थी सं. 2 माधवसिंह के पिता मलाराम की दर्ज गलत जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर सही जाति सीरवी(खारडिया) नाम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31/07/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा